नवनियुक्त जजों का ओवेशन कार्यक्रम आज

बिलासपुर 26 जून। छग हाईकोर्ट के नवनियुक्त तीन जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल जस्टिस रामप्रसन्न शर्मा, और जस्टिस शरद कुमार गुप्ता, का ओवेशन मंगलवार को चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में सुबह 10.30 बजे होगा।

हाईकोर्ट में अरविंद सिंह चंदेल, रामप्रसन्न शर्मा और शरद कुमार गुप्ता के छग हाईकोर्ट में जस्टिस के रूप में नियुक्ति की सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना के बाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ज्युडिशियल गौतम चौरड़िया ने तीनों जजों के ओवेशन की तिथि तय कर दी है।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल गौतम चौरड़िया की अधिसूचना के अनुसार जस्टिस अरविंद चंदेल, जस्टिस शरद कुमार गुप्ता और जस्टिस राम प्रसन्न शर्मा का ओवेशन कार्यक्रम 27 जून की सुबह हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीबी राधाकृष्णन के कोर्ट रूम में होगा। ओवेशन कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली गई है। कार्यक्रम में हाईकोर्ट के जस्टिस सहित रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और अधिवक्ता शामिल रहेगें। कार्यक्रम में तीनों जस्टिस के परिजन भी शामिल होंगे। इनके बैठने की भी व्यवस्था की गई है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए इन तीनों जजों की नियुक्ति के बाद हाईकोर्ट में जजों की संख्या 14 हो जाएगी। अभी वर्तमान में जजों की संख्या 11 है।

गौतम चौरड़िया भी करेंगे पदभार ग्रहण

छग हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अरविंद सिंह चंदेल का हाईकोर्ट जज के रूप में नियुक्ति के बाद रिक्त हुए रजिस्ट्रार जनरल के पद पर गौतम चौरड़िया को नियुक्त किया गया है। रजिस्ट्रार जनरल भी मंगलवार को पदभार ग्रहण करेगें।

रसोई गैस सिलेण्डर चोरी

बिलासपुर,26 जून। कोतवाली थाना क्षेत्र के आरके गली में बीती रात चोरो ने एक मकान से गैस सिलेण्डर की टंकी चोरी कर फरार हो गये। जब घटना हुई महिला घर में सो रही थी। सुदेवी कश्यप ने पुलिस को बयान में बताया कि उसके घर का दरवाजा टुटा हुआ है। जिसके चलते उसने बास और टट्टे का दरवाजा बनाया था उसे किसी ने तोड़ कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है।

डोंगरगढ़। स्थानीय गोलबाजार स्थित मस्जिद में क्षेत्रीय विधायक सरोजनी बंजारे, मंडल अध्यक्ष अमीत जैन, जीवन बंजारे, महामंत्री विजेद्र ठाकुर, बृजलाल नामदेव, अर्चला ठाकुर ने यहां ईद के मौके पर मुस्लिम भाईयों को पर्व की बधाई दी ।

मंदिर ट्रस्ट ने किया खालसा को सम्मानित

छत्तीसगढ़ संवाददाता

डोंगरगढ़, 26 जून। डॉ. जे एस खालसा को बेस्ट आई सर्जन पुरस्कार मिलने पर मंदिर ट्रस्ट समिति के पदाधिकारियों व ट्रस्टियों ने बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उन्हें शाल-श्रीफल से सम्मानित किया।

गत दिनों नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. खालसा को राज्य सरकार ने बेस्ट आई सर्जन के खिताब से सम्मानित किया है । बताया जा रहा है कि छग सरकार द्वारा धमतरी के नेत्र विशेषज्ञ जे एस खालसा को यह पुरस्कार 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के मध्य उनके द्वारा छ ग में सबसे अधिक मोतियाबिंद ऑपरेशन करने पर प्रदान किया है। इस अवधि में डॉ. खालसा ने 2865 मोतियाबिंद के सफल ऑपरेशन किया, जिसमें लगभग 500 ऑपरेशन मां बम्लेश्वरी ट्रस्ट समिति द्वारा संचालित चिकित्सालय में अपनी सेवाएं प्रदान कर किया। ज्ञात हो कि वर्ष 2010 से डॉ. खालसा निरंतर मंदिर चिकित्सालय में अपनी सेवाए दे रहे हैं, जिसमें माह में दो बार निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन किया जाता है । आज मंदिर चिकित्सालय में 41 मरीजों का ऑपरेशन किया गया। डॉ. खालसा को बेस्ट आई सर्जन पुरस्कार मिलने पर मंदिर ट्रस्ट समिति के पदाधिकारियों व समस्त ट्रस्टियों ने बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उन्हें शाल -श्रीफल से सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से ट्रस्ट समिति के उपाध्यक्ष सी पी मिश्रा, कोषाध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, मंत्री महेंद्र परिहार, संजीव गोमास्ता, के के तिवारी सहित नेत्र सहायक गिरधर पटेल आदि कर्मचारी उपस्थित थे।

28 से तीन दिवसीय संयम स्वर्ण महोत्सव

छत्तीसगढ़ संवाददाता

डोंगरगढ़, 26 जून। स्थानीय दिगम्बर जैन चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट व राष्ट्रीय संयम स्वर्ण महोत्सव समिति द्वारा 28 से 30 जून 2017 तक तीन दिवसीय आचार्य विद्यासागर महाराज की दीक्षा का संयम स्वर्ण महोत्सव मनाया रहा है।

उक्त महोत्सव को लेकर दिगम्बर जैन चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र के कार्यकारी अध्यक्ष सेठ किशोर जैन, उपाध्यक्ष संतोष जैन, सुधीर जैन, चंद्रकांत जैन मंत्री, कोषाध्यक्ष सुभाष जैन, शिक्षण समिति उपाध्यक्ष अमीत जैन, सप्रेम जैन ने बताया कि संयम स्वर्ण महोत्सव के तहत 28 जून को आचार्य भक्ति, संगीतमय पूजन व श्रावकों द्वारा संयम ग्रहण, आचार्य जी के अमृत वचन तत्पश्चात मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, विशेष अतिथि विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत, खूबचंद पारख उपाध्यक्ष 20 सूत्रीय क्रियान्वयन समिति, सरोज पांडेय राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा, सरोजनी बंजारे विधायक डोंगरगढ़ व देलेश्वर साहू विधायक डोंगरगांव द्वारा आचार्य जी को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ले सर्वहारा वर्ग के महिला-पुरूषों को हथकरघा दान कर उद्बोधन दिया जाएगा।

29 जून को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विशेष अतिथि जयंत मलैया वित्त मंत्री मध्यप्रदेश शासन, धरमलाल कौशिक छग प्रदेश भाजपाध्यक्ष, बृजमोहन अग्रवाल कृषि मंत्री छग शासन, अभिषेक सिंह सांसद राजनांदगाव द्वारा मंगलाचरण, दीप प्रज्जवल, चित्र अनावरण कर आचार्य श्री विद्यासागर का आशीर्वाद प्राप्त किया जाएगा। इसी प्रकार आचार्य जी के भक्ति के साथ कार्यक्रम की शुरूवात होगी, जिसमें आचार्य जी के अमृत वचन व भव्य संगीतमय आरती व भक्ति, सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी।

महोत्सव के अंतिम दिन 30 जून को मुख्य अतिथि प्रदेश के राज्यपाल बलरामजी दास टंडन , विशेष अतिथि अमर अग्रवाल उद्योग मंत्री छग शासन, अनिल जैन राष्ट्रीय महामंत्री व प्रभारी भाजपा, अजीत जोगी पूर्व मुख्यमंत्री छग, टी एस सिंहदेव नेता प्रतिपक्ष, भूपेश बघेल अध्यक्ष छ ग कांग्रेस कमेटी सहीत अन्य द्वारा आचार्य जी के दर्शनकर मंगलाचरण, दीप प्रज्जवल, चित्र अनावरण कर आचार्य जी को श्रीफल भेंट किया जाएगा। तत्पश्चात कार्यक्रम में आचार्य भक्ति व संगीतमय पूजन, आचार्य जी के अमृत वचन, मुनी महाराज के द्वारा गुणगान आचार्य भक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिभास्थली डोगरगढ़ जैन महिला मंडल द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

राशन दुकान संचालकों को प्रशिक्षण

छत्तीसगढ़ संवाददाता

बिलासपुर, 26 जून। नगर निगम की उचित मूल्य दुकानों में एक जुलाई 2017 से कोर पीडीएस पर 'मेरी मर्जी' योजना लागू होगी। इसके बाद हितग्राही किसी भी राशन से अपना खाद्यान्न उठा सकेंगे। इसके लिए राशन दुकान संचालकों को प्रशिक्षण भी शनिवार को दिया गया।

प्रशिक्षण के दौरान खाद्य विभाग के संचालक डी.सिंह उपस्थित थे। शहर में एक जुलाई से राशन का वितरण ऑनलाईन होगा। ऑफ लाईन वितरण बंद कर दिया जाएगा। शहर के 66 वार्डो के 100 दुकानों में कोर पीडीएस लागू हो जाएगी। अभी तक बिलासपुर शहर के राशन कार्डधारी अपने मूल दुकान से राशन लेने बाध्य थे लेकिन अब इसकी बाध्यता नहीं है। इस संबंध में कोई भी शिकायत मिलेगा तो खाद्य विभाग के अमले पर कार्रवाई होगी। दुकान संचालक की जिम्मेदारी है कि वे जीपीआरएस या मोबाईल की बेहतर कनेक्टिविटी वाली सर्विस लें। नगर निगम क्षेत्र में किसी भी दुकान में नेटवर्क की समस्या न हो। जहां कनेक्टिविटी की समस्या हो ऐसी जगहों पर दुकान संचालित न करें। सामग्री की त्रुटिरहित एन्ट्री टेबलेट में की जाए। टेबलेट व बायोमेट्रिक्स डिवाईस का कनेक्टर अच्छी कंपनी का हो और इन उपकरणों का उचित रख-रखाव करें। उन्होंने दुकानोंदारों से स्पष्ट कहा कि किसी भी हितग्राही को आधार प्रमाणीकरण के अभाव में राशन देने से मना नहीं करना है। उनका फोटो लेकर उन्हें राशन सामग्री दी जाए तथा आधार प्रमाणीकरण के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। जिन हितग्राहियों का आधार नंबर नहीं लिया गया है उनसे आधार नंबर लें। भारत सरकार ने 30 जून तक इसकी समयसीमा रखी है। अपर संचालक राजीव जायसवाल ने कहा कि दुकान संचालक बेहतर ग्राहक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करें। ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करें। खाद्य विभाग व नान की जिम्मेदारी होगी कि वे बिलासपुर शहर में 3-4 चलित उचित मूल्य दुकान संचालित करें। जहां पर टेबलेट काम नहीं करेगा,

उन दुकानों में चलित वाहन से राशन सामग्री प्रदान करें। कोर पीडीएस में क्या सुविधा है इस बारे में सभी राशन दुकानों में सूचना चस्पा करें। हर उपभोक्ता को इसकी जानकारी होनी चाहिए। जिन शहरों में कोर पीडीएस व्यवस्था चालू है उनमें से किसी भी शहर में हितग्राही राशन प्राप्त कर सकता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राही को शहरी क्षेत्र के दुकानों से राशन नहीं मिलेगा।

खाद्य संचालनालय के प्रोग्रामर मनीष सिंह ने प्रेजेन्टेशन के माध्यम से कोर पीडीएस से संबंधित प्रशिक्षण दिया। एप्लीकेशन क्या है, यह कैसे काम करेगा, आधार प्रमाणीकरण कैसे करेंगे, प्रमाणीकरण के समय किन बातों का ध्यान रखना है उन्होंने बताया।

इस अवसर पर अतिरिक्त कलेक्टर के.डी. कुंजाम, खाद्य नियंत्रक आशुतोष चतुर्वेदी सहित खाद्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी तथा शहरी क्षेत्र के उचित मूल्य दुकान संचालक उपस्थित थे।

गलत ऑपरेशन, डॉक्टर पर 12 लाख जुर्माना

बिलासपुर, 26 जून। जिला उपभोक्ता फोरम ने गर्भाशय का गलत आपरेशन करने वाले डॉक्टर के ऊपर 12 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है।

चकरभाठा थाना क्षेत्र के ग्राम परसदा की हेनाथ शर्मा की दायर परिवाद मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम ने डा अनिता गोयनका के खिलाफ निर्णय देते हुए उपचार का खर्च 2 लाख और मानसिक क्षतिपूर्ति 10 लाख और परिवाद व्यय 5 हजार देने का आदेश पारित किया है। ज्ञात हो चकरभाठा के ग्राम परसदा निवासी हेनाथ शर्मा पत्नी ममता शर्मा के पेट में दर्द हुआ। हेनाथ ने अपनी पत्नी का 1 जून 2012 में तेलीपारा स्थित शिवांगी अस्पताल में डा. अनिता गोयनका से चेकअप कराया और सोनोग्राफी और पैथोलॉजी टेस्ट कराने को कहा। टेस्ट की रिपोर्ट देखने के बाद डॉ. गोयनका ने ममता शर्मा के बच्चेदानी में सूजन आने की बात कहते हुए आपरेशन करने की बात कही। हेनाथ ने 2 जून को अपनी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कर दिया।

3 जून को डॉ. गोयनका ने ममता को आपरेशन कर दिया, लेकिन ममता की हालत में सुधार नहीं हुआ और तबियत खराब होने लगी, तब डॉक्टर ने उसे अपोलो ले जाने की सलाह दी। ममता को उसके पति हेनाथ ने अपोलो में भर्ती कराया। तीन दिन के बाद उसकी मौत हो गई। अपोलो के डॉक्टरों ने सोनोग्राफी रिपोर्ट देखने के बाद बताया कि बच्चेदानी में मामूली सूजन था तथा ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं थी। जल्दबाजी और गलत आपरेशन के कारण ममता को सेप्टोसेमिया, सेप्सिस और साइनस टेकिकार्डिया हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हेनाथ ने डॉ. गोयनका के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया था।

राशन के लिए 36 किमी सफर

(पेज 13 से आगे)

के लिए मीलों चलना पड़ता है। वहीं कुल्हाड़ीघाट के आश्रित ग्राम मटाल, कुरवापानी, ताराझर के कमार राशन प्राप्त करने कुल्हाड़ीघाट जाते हैं। कुल्हाड़ीघाट से ग्राम ताराझर की दूरी 25 किलोमीटर से अधिक है। इन ग्रामों तक केवल पदयात्रा कर ही पहुंचा जा सकता है।

नहीं पहुंच पाती शासकीय योजनाएं

सांसद आदर्श ग्राम पंचायत योजना के लिए चिन्हित ग्राम पंचायत कुल्हाड़ीघाट के पहाड़ी पर स्थित ग्राम ताराझर, मटाल, कुरवापानी व फरसरा पंचायत के आश्रित ग्राम डढ़ईपानी तक शासकीय योजनाएं पहुंचने से पहले दम तोड़ देती है। इन ग्रामों में लोग नदी और झरिया का पानी का उपयोग पेयजल के लिए करते हैं, क्योंकि इन ग्रामों में हैंडपंप तक की व्यवस्था नहीं है।

कमार जनजाति विलुप्त हो रही जनजातियों की श्रेणी में आता है। इनके विकास के लिए वर्षो से कमार विकास अभिकरण संचालित है। जिनका कार्य इस जनजातीय समुदाय को शिक्षा, स्वास्थ्य व उन्हें आर्थिक कार्यक्रम व योजना बनाकर स्वावलंबी बनाने का है किन्तु विकास अभिकरण का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पाता।

आयरन युक्त पानी पीते हैं ग्रामीण

ग्राम मटाल, कुरवापानी, ताराझर व फरसरा ग्राम पंचायत के डढ़ईपानी के लोग नदी व कुएं का पानी पीते हैं जिसमें बड़ी मात्रा में आयरन रहता है। इसके चलते उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बोरवेल की गाड़ियां नहीं पहुंच पाने के कारण इन जल श्रोतों का उपयोग करना उनकी मजबूरी है।

मरीजों को खाट से पहुंचाते हैं अस्पताल

सांसद आदर्श ग्राम पंचायत कुल्हाड़ीघाट के आश्रित ग्राम मटाल, कुरवापानी, ताराझर व फरसरा समेत डढ़ईपानी के ग्रामीण सड़क के अभाव में मरीजों को खाट से पंचायत मुख्यालय तक लाते हैं। मोबाइल नेटवर्क नहीं होने के चलते 108, महतारी एक्सप्रेस का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पाता। ग्रामीण अपने निजी व्यवस्था से सरकारी अस्पताल विकासखंड मुख्यालय मैनपुर तक पहुंचते हैं। हालांकि शासन द्वारा कुल्हाड़ीघाट में जनस्वास्थ्य रक्षक नियुक्त गया है किन्तु जनस्वास्थ्य रक्षक मुख्यालय कुल्हाड़ीघाट को छोड़कर मैनपुर में निवास करते हैं।

वनोपज से चलाते हैं परिवार का खर्च

कुल्हाड़ीघाट इलाके के पहाड़ी पर बसे ग्राम ताराझर, मटाल, कुरवापानी व फरसरा पंचायत के आश्रित ग्राम डढ़ईपानी के लोगों के आजीविका का प्रमुख संसाधन तेन्दूपत्ता, महुआ, सालबीज का संग्रहण है। इसे बेचकर वे अपना खर्च चलाते हैं। वहीं वे अपने परम्परागत बास बर्तन बनाने का काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं ।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई, जिला-दुर्ग
मामला क्रमांक / / अ/6 सन् 2016-2017

उद्घोषणा-पत्र

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक विनीता पाटिल आ. सुर्यप्रकाश पाटिल साकिन मरारपारा बोरसी, तह. बेरला, जि. बेमेतरा के द्वारा अपने भूमि स्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम कुरूद प.ह.न कृ14/19 रा.नि.म.दुर्ग-1 तह.व. जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1572/222 का टु. रकबा 800 वर्गफीट=74.34 वर्ग मी.(0.006 हे.) हेक्टेयर भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता सुभाष चंद खत्री आ. शनाकीराम खत्री निवासी शांती नगर, सुपेला, भिलाई, के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिस का प्रकरण विचारधीन है।

अत: जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 14.7.17 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 24.6.17 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एंव न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर **अति.तहसीलदार भिलाईनगर जिला-दुर्ग**

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई, जिला-दुर्ग
मामला क्रमांक / / अ/6 सन् 2016-2017

उद्घोषणा-पत्र

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक जयंती त्रिपाठी आ. शैलेन्द्र नाथ त्रिपाठी साकिन सेक्टर-4 भिलाई तह.व जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम कुरूद प.ह.नं. 19 रा.नि.म. दुर्ग-1 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 1383/1 का टु. रकबा 1000 वर्गफीट 0.009 हे. हेक्टेयर भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता आलोक कुमार लुनिया आ. स्व. जे.के. लुनिया निवासी पद्मनाभपुर दुर्ग के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिस का प्रकरण विचाराधीन है।

अत: जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 14.7.17 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 24.6.17 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर **अति. तहसीलदार भिलाईनगर जिला-दुर्ग**

शिक्षा में भारतीय पद्धति को अपनाना चाहिए- अग्निहोत्री

बीयू के छठवें स्थापना दिवस पर नई शिक्षा नीति पर संगोष्ठी

छत्तीसगढ़ संवाददाता

बिलासपुर 26 जून। बिलासपुर विश्वविद्यालय ने छठवां स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस के अवसर पर नई शिक्षा नीति और फंडिग पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

स्थापना दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विवि के कुलपति प्रो. कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री थे। यूजीसी भोपाल अंचल के डिप्टी डायरेक्टर एसएस बघेल, गुरूघासीदास केन्द्रीय विवि के कुलपति प्रो अंजिला गुप्ता, पं सुंदर लाल शर्मा मुक्त विवि के कुलपति प्रो बंश गोपाल सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो. जी डी शर्मा ने की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रो. अग्निहोत्री ने कहा कि देश में पढ़ाई की पद्धति अंग्रेजों के समय की चल रही है। इस पद्धति में बदलाव किया जाना चाहिए और भारतीय पद्धति से शिक्षा प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। भारतीय प्रणाली में भारत के सभी वेद शामिल हैं। इनके बारे में विद्यार्थियों को बताने पर विद्यार्थियों पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। भारतीय प्रणाली में वेदों को काफी महत्व बताया गया है। आज बच्चे वेदों के बारे में जानते हैं लेकिन इसको व्यापक से बताए जाने की जरूरत है। इससे पढ़ाई में ईमानदारी और सत्यता आएगी।

यूजीसी भोपाल अंचल के डिप्टी डायरेक्टर एसएस बघेल ने कहा कि यूजीसी के पास विवि और महाविद्यालयों के लिए काफी फंड है, लेकिन संस्थान इसके लिए आवेदन नहीं करते हैं। डिप्टी डायरेक्टर ने सभी संस्थाओं से फंड के लिए आवेदन देने की बात कहते हुए कहा कि फंड आने से संसाधनों का विकास होगा जिससे शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ेगी।

मांगी अमन चैन की दुआ

(पेज 13 से आगे)

छोटे बच्चों को ईदी के रुप में उपहार दिए । ईद के अवसर पर उसकी देन कमेटी ने सत्यम चौक में पंडाल लगाकर सेवई का वितरण किया।

वहीं पूरे दिन मुस्लिम समुदाय के लोगों को एक-दुसरे के घर जाकर मुबारकबाद देने का सिलसिला शाम तक चलता रहा।

राजनेता भी पहुंचे पर्व की बधाई देने

मुस्लिम समुदाय के लोगों को पर्व ईद की बधाई देने के लिए महापौर किशोर राय, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष नरेन्द्र बोलर सहित अन्य मुबारकबाद देने के लिए ईदगाह सहित विभिन्न मस्जिदों के पास पहुंचे और नमाज अदा कर बाहर निकल रहे मुस्लिम समाज के लोगों से गले मिलकर पर्व की बधाई दी।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

ज्ञापन

क्रमांक / / वा.-2 / प्र. अति.तह./ 2017
भिलाई दिनांक / / 2017

प्रति,
हल्का पटवारी
ग्राम कुरूद प.ह.न. 14/19
तहसील कार्यालय दुर्ग

विषय:- बन्दोबस्त त्रुटिसुधार के संबंध में विस्तृत जांच प्रतिवेदन देने बाबत्।

उपरोक्तानुसार विषयान्तर्गत लेख है आवेदक रूपलाल वल्द श्याम लाल निवासी ग्राम कुरूद भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा मौजा कुरूद प.ह.न. 14/19 रा. नि. म. दुर्ग-1 तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 490 रकबा 0.813 हेक्टेयर बंदोबस्त के दौरान उपरोक्त भूमि का नया खसरा नंबर 501, 502, 503, 504 कुल रकबा 0.51 हेक्टेयर निर्मित हुआ जो कि पूर्व रकबा से कम है। उक्त आवेदित भूमि शामिलात खाता में दर्ज है।

अत: आवेदित भूमि खसरा नंबर 490 रकबा 0.813 हेक्टेयर बन्दोबस्त के दौरान उपरोक्त भूमि का नया खसरा नंबर 501, 502, 503, 504 कुल रकबा 0.51 हेक्टेयर पिछली रकबा से कम है जिसे पटवारी/राजस्व अभिलेख में बन्दोबस्त त्रुटिसुधार करने हेतु मय दस्तावेज के साथ आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचारधीन है।

अत: आवेदित भूमि खसरा नंबर के संबंध में आवेदक से पुराना रिकार्ड प्राप्त कर एवं वर्तमान रिकार्ड का अवलोकन कर, जांच रिपोर्ट देवें, हुए मौका स्थल जांच कर व नक्शा को चिन्हांकित करे कि खसरा, रकबा में कहा पर त्रुटि हुई है का स्पष्ट उल्लेख करते हुए पंचनामा मय प्रतिवेदन पेशी दिनांक 13.7.17 के पूर्व न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

मुहर **अतिरिक्त तहसीलदार उप तहसील, भिलाई नगर (छ.ग.)**

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई, जिला-दुर्ग
मामला क्रमांक / / अ/6 सन् 2016-2017

उद्घोषणा-पत्र

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक शिवजी यादव आ. केदार यादव साकिन कुर्सीपार भिलाई तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम कुरूद प.ह.न 14/19 रा.नि.म. दुर्ग -1 तह. व. जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर1603/58 रकबा 2000 वर्गफीट=185.87 वर्ग.मी.(0.02 हे.) हेक्टेयर भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता देवेन्द्रनाथ मिश्रा आ. रघुनाथ मिश्रा निवासी 115/7 जी.टी. रोड बाली, हावडा(प.बंगाल) के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिस का प्रकरण विचाराधीन है।

अत: जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 19.7.17 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्रवाई नही किया जावेगा।

आज दिनांक 24.6.17 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर **अति.तहसीलदार भिलाईनगर जिला-दुर्ग**

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई, जिला-दुर्ग
मामला क्रमांक / / अ/6 सन् 2016-2017

उद्घोषणा-पत्र

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक टी.भारती आ. टी. बाबूराव साकिन बालाजी नगर, खुर्सीपार, भिलाई तह व जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम कुरूद प.ह.न 14/ 19 रा.नि.म.दुर्ग-1 तह.व. जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 1572/222 का टु. रकबा 800 वर्गफीट=74.34 वर्ग मी.(0.005 हे.) हेक्टेयर भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता सुभाष चंद खत्री आ. शनाकीराम खत्री निवासी शांति नगर, सुपेला, भिलाई के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिस का प्रकरण विचाराधीन है।

अत: जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 14.7.17 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 24.6.17 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर **अति.तहसीलदार भिलाईनगर जिला-दुर्ग**

कोरिया समिति चुनाव, बदले समीकरण

(पेज 13 से आगे)

वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष गुलाब कमरो ने अपने क्षेत्र में किसानों को एकजुट करने में सफलता पाई। यहां के चैनपुर, केल्हारी, बरबसपुर में कांग्रेस और गोडवाना ने बढ़त बनाने में कामयाबी पाई है।

बरबसपुर में कांग्रेस के गोडवाना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो केल्हारी और चैनपुर में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़कर भाजपा से आगे रही। चुनाव में बदले समीकरण से बैकुंठपुर विधानसभा में भाजपा को अपने साथ ले कर आगे बढ़ती नजर आ रही है। वहीं सोनहत भरतपुर विधानसभा में कांग्रेस की बढ़त बरकरार देखने को मिल रही है। पंजीकृत किसानों ने सत्ता के खिलाफ जाकर बड़ी संख्या में वोट दिया, किसानों को मानना था कि धान के बोनस को लेकर सरकार की वादाखिलाफी किसी से छिपी नहीं है और अब सरकार चुनावी वर्ष में इसकी भरपाई भी करती है तो भी किसानों को समझा पाना बेहद मुश्किल काम है।

23 में 18 निर्विरोध हुआ चुनाव

जिले की 23 सहकारी समितियों में चुनाव हुए जिसमें 18 समितियों में निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ जिसमें घुटरा, कछौड, कमर्जी, कोटाडोल, धौराटिकुरा, सरभोका, कोडा सहित कई समितियों में कांग्रेस, भाजपा और अन्य समर्थित सदस्य निर्विरोघ चुने गए है। परन्तु ज्यादातर कांग्रेस समर्थितों का ज्यादा चयन देखा गया है।

पौने दो सौ सरकारी स्कूलों में शौचालय अधूरे या हैं ही नहीं

(पेज 20 से ओ

आज तक टॉयलेट का निर्माण नहीं कराया गया और वहां टॉयलेट पूर्ण होना बताया जा रहा है।

ग्राम पंचायत पाराडोल के लालमाटी पारा। यहां प्राथमिक शाला में 18 छात्र और 18 छात्राओं के साथ ही इन्हें पढ़ाने के लिए दो महिला शिक्षक भी हैं, लेकिन विद्यालय में टॉयलेट का निर्माण ही नहीं कराया गया है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत बंजी के माध्यमिक शाला में 36 छात्राएं पढ़ रही हैं। यहां 4 महिला शिक्षक हैं, लेकिन टॉयलेट में पानी नहीं होने की वजह से उसका भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है।

ग्राम पंचायत बंजी के मटियारी औरा प्राथमिक शाला में 17 छात्राएं व 13 छात्र के बीच 1 महिला शिक्षक हैं। यहां टॉयलेट बेहद जर्जर हालत में है। शौचालय में दरवाजा की जगह पर्दा लगाकर काम चलाया जा रहा है, जबकि इन सभी विद्यालयों में टॉयलेट पूर्ण होने की बात कही जा रही है।

अधिकांश सरकारी स्कूलों में चपरासी भी नहीं हैं फिर सफाईकर्मी की तो बहुत दूर की बात है। ऐसी स्थिति में टॉयलेट की साफ-सफाई कौन करता होगा, इसका अंदाजा भी सहजता से लगाया जा सकता है। कुछ स्कूलों को छोड़ दें तो अधिकांश में छात्र-छात्राओं को पीने के लिए ही पानी की किल्लत है। कुछ स्कूलों में पानी की टंकी टूट चुकी है तो कहीं गायब ही कर दी गई है। ऐसी स्थिति में भी स्कूलों में शौचालयों का उपयोग नहीं हो पा रहा है।

महिला शिक्षकों का कहना है कि यहां प्रशासन कुछ नहीं सुनता। कई बार इस संबंध में संबंधित विभागों को सूचित किया जा चुका है, लेकिन सालों से केवल कागजी कार्रवाई जारी है। इसके आगे कुछ भी नहीं होता।

फ्रेण्डली शौचालय में भी अनियमितता

ब्लॉक के सरकारी विद्यालयों में फ्रेण्डली शौचालय निर्माण में भी जमकर अनियमितता बरती गई है। एक करोड़ से भी अधिक की राशि स्वीकृत होने के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी शौचालय नहीं बनाए गए जबकि राशि खर्च कर दी गई।

जानकारी के अनुसार विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ अंतर्गत समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में सर्व शिक्षा अभियान योजना के तहत् फ्रेण्डली शौचालय निर्माण हेतु शासन-प्रशासन स्तर पर लगभग 263 नग शौचालय निर्माण हेतु प्रति शौचालय 50 हजार रूपए के हिसाब से कुल 1 करोड़ 31 लाख 50 हजार रूपए की राशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन आलम यह है कि राशि स्वीकृत हुए कई वर्ष बीतने को हैं, सरकारी स्कूलों में शौचालय निर्माण अभी तक पूर्ण नहीं हो सके हैं।